वित्तीय स्वीकृति

संख्या-31/751/52-3-14-बजट(18)/2014

प्रेषक

देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में

□□□□□
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 20 □□, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। (□□□□□□□)

□□□□,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वि (□□-व्ययक) □□0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-□□-1-795/□□-2014-231/2014, दिनांक 14.3.2014 के प्रस्तर-2(1) से 2(5) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्यय में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु आयोजनागत पक्ष में विधान हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 12,00,00,000/- के सापेक्ष 04 माह के लेखानुदान के रूप में पारित धनराशि रू0 04,00,00,000/-(रू0 चार करोड़ मात्र) निम्नांकित शर्तों

एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किय जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि से केवल योजनान्तर्गत पात्र बालिकाओं को ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय इस संबंध में निर्गत शासनादेश संख्य -1682/52-3-07-□□(4)/07टी0□□0 दिनांक 26 सितम्बर, 2007 □□□□□□□□ शासनादेश -2363/52-3-08-□□(4)/07टी0□□0 दिनांक 31.10.2008 तथा शासनादेश संख -5308/52-3-09-□□(4)/07टी0□□0 दिनांक 21.10.2009 में निर्गत दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत अन्य नियमों/शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार किया जायेगा।

4- आवेदकों का चयन निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण शासन को प्रत्येक 06 माह पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र माह मा , 2015 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- □□□□□ □□ □□□□ (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरका /केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी व

स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उक्त व्यय वित्तीय व 2014-15 □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि के लिए आवश्यक धन व्यवस्था 2014-15 □□ □□ □□ व्ययक एवं तदसंबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व 2014-15 □□ □□ व्ययक के अनुदान संख्य -48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-□□□□□ जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण- 80-सामान्य-800- □□□□□□-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण -0304-अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु □□□□-20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□ □□□□□

4- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्य -□□-1-795/□□-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या-751(1)/52-3-14-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□□, □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

4-कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिक ,
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□
5-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद 704 □□□□□ □□□, □□□□□
6-अल्पसंख्यक कल्य ण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा स ं ,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in